

- (iv) To monitor working under the proposed legislation, the State Legal Services Authorities and District Legal Services Authorities may be involved.

As of now, India has not signed the Hague Convention on Child Abduction.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 2.30 p.m.

The House then adjourned at twenty minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at thirty minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MESSAGE FROM LOK SABHA — Contd.

The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन सर...

† قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : ماننے ڈپٹی چیئرمین سر..

श्री उपसभापति: दो मिनट। अभी एक बिजनेस है। पहले उसे पूरा कर लेते हैं, तब आपको मौका देंगे। Message from Lok Sabha, Secretary General.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 20th December, 2018, agreed without any amendment to the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 12th December, 2018."

**REGARDING DISCUSSION ON SITUATION IN JAMMU AND KASHMIR
AND VARIOUS OTHER ISSUES**

श्री उपसभापति: आज़ाद साहब, आप बोलिए।

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): सर, मुझे दो प्वाइंट्स उठाने हैं। मैं लम्बा डिस्कशन

† Transliteration in Urdu script.

नहीं करना चाहूंगा। एक तो जम्मू-कश्मीर के बारे में है कि वहां 356 का इस्तेमाल किया गया और किस तरह से जम्मू-कश्मीर में विधान सभा पहले animated suspension में रखी गयी, उसके बाद Governor's Rule रखा गया और अब Central Rule हो गया। सदन चल रहा है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज चल रहे हैं, लोक सभा और राज्य सभा, लेकिन यहां कोई चर्चा नहीं हो रही है। जिस वक्त Governor's Rule से इसको राष्ट्रपति रूल में लाना चाहते थे, इस पर इस सदन में और दूसरे सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। जम्मू-कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमेशा चर्चा हुई है, लेकिन कभी भी तीन-चार महीने में इतनी ...**(व्यवधान)**... सुन लीजिए। जब गवर्नमेंट ही disrupt करती है.. मैं गाली तो नहीं दे रहा हूँ, जो हुआ है, जो आपने किया है, यह तो पता चलना चाहिए। अब हर चीज पर विपक्ष उठे और आप disrupt करें, तो I am very sorry. तो इस चीज के बारे में यहां चर्चा होनी चाहिए, दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए।

† جناب غلام نبی آزاد : سر، مجھے دو پوائنٹس اٹھانے دی۔ می لمبا ڈسکشن نہی کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جموں-کشمی کے بارے دی بے کہ وہاں 356 کا استعمال کئی گئی اور کس طرح سے جموں-کشمی می ودھان سبھا پہلے animated suspension می رکھی گئی، اس کے بعد گورنرس رول رکھا گئی اور اب سٹیبل رول ہو گئی۔ سدن چل رہا ہے، پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز چل رہے دی، لوک سبھا اور راجہ سبھا، لیکن تیاں کوئی چرچا نہی ہو رہی ہے۔ جس وقت گورنرس رول سے اس کو اسٹریٹیجی رول می لانا چاہتے تھے، اس پر اس سدن می اور دوسرے سدن می چرچا ہوئی چاہئے تھی۔ جموں-کشمی ایک بہت بڑا مدعا ہے اور ہمیشہ چرچا ہوئی ہے، لیکن کبھی بیوی تھی-چار مہینے می اتنی ...**(مداخلت)**.... سن لیجئے۔ جب گورنمنٹ دی disrupt کری ہے۔ می گالی تو نہی دے رہا ہوں، جو ہوا ہے، جو آپ نے دئی ہے، یہ تو پتہ چلنا چاہئے۔ اب بر جی پر ویکس اٹھے اور آپ disrupt کری گئے، تو آئی اے وی وی سوری۔ تو اس چرچا کے بارے می تیاں چرچا نہی چاہئے، دونوں سدنوں می چرچا ہوئی چاہئے۔

And then the other most important thing which I would like to mention is that an undeclared emergency has taken its final shape. All Central agencies...
...**(Interruptions)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**... एक मिनट All federal agencies have been let loose in the country...
...**(Interruptions)**...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): डिप्टी चेयरमैन साहब, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है।
...**(व्यवधान)**...

† Transliteration in Urdu script.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं एक मिनट में खत्म करूँगा।

† مے ایک منٹ دی ختم کروں گا۔

...(व्यवधान)... The fundamental right of the citizens... *...(Interruptions)...*

श्री विजय गोयल: सर, अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस है। *...(व्यवधान)...* ये इस मामले को क्यों उठा रहे हैं? *...(व्यवधान)...* इसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। *...(व्यवधान)...*

श्री उपसभापति: प्लीज़ *...(व्यवधान)...* माननीय नेता विरोधी दल, चूँकि यह प्रसंग सुबह उठा था *...(व्यवधान)...*

श्री विजय गोयल: आधार के ऊपर *...(व्यवधान)...* हर चीज़ पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। *...(व्यवधान)...*

श्री उपसभापति: यह Private Members' Resolution अत्यंत संवेदनशील है और यह समाज के लिए महत्व का मामला है। *...(व्यवधान)...* मैं इस पर आगे बहस बढ़ाने के लिए, विधवाओं की स्थिति पर बात करने के लिए प्रो. मनोज कुमार झा जी से आग्रह करूँगा कि मनोज झा जी कृपया इस बहस को आगे बढ़ाएँ। *...(व्यवधान)...*

श्री विजय गोयल: सर *...(व्यवधान)...* सरकार जम्मू-कश्मीर पर *...(व्यवधान)...* RBI पर, CBI पर, सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। *...(व्यवधान)...* We are ready to discuss any issue, whatever issue you want to discuss. *...(Interruptions)...*

SHRI GHULAM NABI AZAD: You cannot implement... *...(Interruptions)...* This cannot be done in a democracy. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति: यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। *...(व्यवधान)...* मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम विधवाओं की स्थिति पर बात करने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)...* यह Private Members' Resolution है। *...(व्यवधान)...* यह चीज़ चर्चा में पहले से लिस्टेड है। *...(व्यवधान)...* प्लीज़ *...(व्यवधान)...* अगर यह स्थिति रही, तो कैसे काम होगा? *...(व्यवधान)...*

SHRI VIJAY GOEL: Whatever issue you want *...(व्यवधान)...* आप जो भी मुद्दा discuss करना चाहते हैं, *...(व्यवधान)...* हम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)...*

श्री उपसभापति: बिजनेस में पहले से Private Member's Resolution पर बहस होनी है। *...(व्यवधान)...* हम विधवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)...*

श्री विजय गोयल: कभी आप यह विषय ले लेते हैं, तो कभी वह विषय ले लेते हैं। *...(व्यवधान)...*

श्री उपसभापति: माननीय तिरुची शिवा जी के Resolution पर आगे चर्चा होनी है। *...(व्यवधान)...* प्रो. मनोज झा जी, मैं आपसे यह आग्रह करूँगा कि यह चर्चा आप आगे बढ़ाएँ।

...(व्यवधान)... अगर कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, तो हम यह सदन कैसे चला सकते हैं? ...(व्यवधान)... मैं प्रो. मनोज झा से आग्रह करूँगा कि वे कृपया अपनी जगह पर जाएँ और विधवाओं की स्थिति के बारे में बोलें। ...(व्यवधान)...

श्री विजय गोयल: सर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्रो. मनोज झा, पूरी महिलाओं के लगभग 7 परसेंट से अधिक संख्या विधवाओं की है। ...(व्यवधान)... हम विधवाओं की स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान)... अगर इस पर आप चर्चा को आगे बढ़ाएँगे ...(व्यवधान)... विधवाओं की स्थिति के बारे में चर्चा आगे बढ़ानी है। ...(व्यवधान)... प्लीज़ ...(व्यवधान)... इसके अलावा किसी और विषय पर चर्चा ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: झा साहब, आपका नाम है। ...(व्यवधान)... मैं आग्रह करूँगा कि ...(व्यवधान)... मेरा आप सबसे आग्रह होगा कि ...(व्यवधान)... कृपया एक मिनट, मेरा आप सबसे आग्रह है, ...(व्यवधान)... आप कृपया बैठ जाएँ। ...(व्यवधान)... माननीय विपक्ष के नेता बड़े ही सम्मानित हैं, जिन्हें हम सब जानते और समझते हैं। वे अच्छी परम्परा के वाहक हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू की, ...(व्यवधान)... लेकिन वे भी जानते हैं कि आज Private Members' Resolutions के अंतर्गत चर्चा होनी है और वह चर्चा विधवाओं के बारे में है, जो कुल महिलाओं की संख्या के 7 परसेंट से अधिक है। ...(व्यवधान)... उन पर होने वाली चर्चा आगे बढ़े, इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि महिलाओं के आरक्षण का सवाल हो या विधवाओं की स्थिति पर चर्चा हो, उस पर तो हम बहस करें! ...(व्यवधान)... उस पर हमें बहस करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

मैं यहां एक सूचना देना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में President Rule के approval के लिए सरकार ने एक Statutory Resolution दिया है, जिसे माननीय सभापति जी ने admit कर लिया है। सदन में उस पर चर्चा होगी। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: इससे पहले कि सदन के नेता बोलें, हमारी बात सुनी जाए। ...(व्यवधान)... क्योंकि सदन के नेता ने इस विषय में हस्तक्षेप करना स्वीकार कर लिया है, ...(व्यवधान)... अभी नेता प्रतिपक्ष ने जो बात सदन में उठाई है, वह एक गम्भीर विषय है। देश के हर नागरिक के जो मूल अधिकार हैं, Fundamental Rights, Right to Privacy या निजता का अधिकार है, उससे संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है कि जो Right to Privacy है, निजता का अधिकार है, वह मूल अधिकार है, Fundamental Right है। देश की 9 agencies को और दिल्ली पुलिस को एक sweeping power दे दी गई, एक Executive Order से, कि वे किसी की भी जानकारी, ...(व्यवधान)... हर टेलीफोन, हर कम्प्यूटर को intercept करें, monitor करें। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप कृपया अपनी बात संक्षेप में रखें। ...(व्यवधान)...

श्री आनन्द शर्मा: इस तरह तो भारत पुलिस स्टेट बन जाएगा, जो हमें स्वीकार्य नहीं है। ...(व्यवधान)...

सभा के नेता (श्री अरुण जेटली): उपसभापति जी, आज़ाद साहब और आनन्द शर्मा जी ने जो विषय सदन में उठाया है, मैं उनका आभारी हूँ क्योंकि तथ्य कुछ ऐसे हैं जो उनके समक्ष और देश के समक्ष भी आने चाहिए। इस विषय को यहां उठाने से पहले बेहतर होता कि विपक्ष पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता। जब विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य ऐसे मामले उठाते हैं, उनके बोले हुए हर शब्द की अपनी एक value होती है। It is precious. उसके तथ्य क्या हैं, उनके लिए जानना आवश्यक है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...**

जैसा आनन्द जी ने कहा कि हर टेलीफोन, हर कम्प्यूटर — ऐसा नहीं है। आज से 100-150 साल पहले एक कानून बना था - Indian Telegraph Act. उस एक्ट के तहत telegraph, जिसमें telephony थी, उसके बाद आपकी भी सरकार रही, हमारी और दूसरी सरकारें भी रहीं, देश भर में वह कानून चलता रहा। उस कानून के तहत, जहां-जहां national security से संबंधित मामले आते हैं, कुछ agencies को उसमें interception का अधिकार रहा है। उसके लिए agencies notify होती हैं। जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने प्रगति की, उसके बाद कम्प्यूटर instruments आने शुरू हुए, जिसके अंतर्गत आप कम्प्यूटर instruments से भी terrorists को intercept कर सकते हैं। आज से 18 वर्ष पहले Information Technology Act आया। Information Technology Act में Section 69 के तहत, जो भी Constitution के Article 19(2) की restrictions हैं free speech पर, उस कानून को बनाने के बाद, जिसे आपकी सरकारों ने भी प्रयोग किया, अन्य सरकारों और हमने भी किया, वही शब्दावली Article 19(2) से ले ली गई कि national security, Defence of India, public order, integrity of India - जब इनके साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा हो तो authorised agencies को अधिकार होगा, जैसा Telegraph Act में national security के केस में है, वे interception कर सकते थे, जिसके माध्यम से हम terrorists पकड़ते हैं। IT Act में जब वह अधिकार IT instruments के through होगा, वही अधिकार parallel उसमें दिया गया है। उसके कानून, जब आनन्द शर्मा जी मंत्री थे, उनके समय में, 2009 में UPA सरकार ने बनाए कि वे कौन-सी agencies होंगी, जिन्हें authorize किया जाएगा। वह कानून 2009 में बना, उसके रूल्स बने और उन रूल्स के तहत from time to time वही agencies हैं — IB, CBI, Narcotics agency, DRI, इत्यादि जो notify हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी फोन या computer instrument को intercept नहीं कर सकता। जिसका संबंध national security, public order, integrity of India के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, उसके लिए ये authorized agencies हैं। तब से लेकर, जब से Act बना है, these orders of authorisation are repeated from time to time. 20 दिसम्बर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है, जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला आया था। **...(व्यवधान)...** इसलिए इसमें खिलवाड़ कोई नहीं है। **...(व्यवधान)...** उपसभापति जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति: पहले मैं दो सूचनाएं दे दूँ। **...(व्यवधान)...** माननीय आनन्द शर्मा जी, पहले मैं दो चीजें कह दूँ। **...(व्यवधान)...**

SHRI ARUN JAITLEY: What you are doing Mr. Anand Sharma is making a mountain where even a molehill does not exist. You must know this and the Leader

of the Opposition must know that your word is precious, it is sacrosanct. So, do not use it for a purpose, where a power which has been created by you and which is to be used in national security cases, now you are crying foul about that power.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मेरे पास यह ऑर्डर है, इसमें कहीं भी national security शब्द का जिक्र नहीं है।...(व्यवधान)...

جناب غلام نبي آزاد : سر، میں نے پاس آرڈر ہے، اس میں کسی بھی سیکورٹی لفظ کا ذکر نہیں ہے۔۔۔(مداخلت)۔۔۔

श्री अरुण जेटली: ये elementary चीजें हैं, यह authorization order है, national security के प्रोविज़न सेक्शन 69 में लिखे हुए हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप सभी मेरा यह निवेदन होगा कि कृपया शांति बनाए रखें। ... (व्यवधान)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, it is a general order. There is no mention of national security. ... (Interruptions)...

SHRI ARUN JAITLEY: National security has been mentioned under Section 69. You are playing with the security of the country. That is what you have done till now. ... (Interruptions)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: यह बीजेपी की आदत है। ... (व्यवधान) ... हर चीज़ में national security ... (व्यवधान) ... national security आपकी जायदाद हो गई, बीजेपी की जायदाद हो गई! ... (व्यवधान) ... हमारे लिए national security नहीं है! ... (व्यवधान) ...

† **جناب غلام نبي آزاد :** میں نے عادت ہے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ ہر چیز میں national security ... (مداخلت)۔۔۔ national security آپ کی جائیداد ہو گئی، بیجے پی کی جائیداد ہو گئی! ... (مداخلت)۔۔۔ ہمارے لئے national security نہیں ہے! ... (مداخلت)۔۔۔

श्री उपसभापति: मेरा आग्रह होगा कि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बैठे हैं, कम से कम हम विधवाओं की स्थिति पर बात करें। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जिसने हिन्दुस्तान को आज़ाद कराया, उनके लिए national security नहीं है और जिनका कोई हिस्सा नहीं है, उनके लिए national security... (व्यवधान)...

† **جناب غلام نبي آزاد :** جس نے ہندوستان کو آزاد کرایا، ان کے لئے national security نہیں ہے اور جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لئے national security ... (مداخلت)۔۔۔

विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई ...**(व्यवधान)**... प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जेपी को जेल में बंद किया, वह आपकी पार्टी रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया नारे न लगाएं, अपनी जगह पर जाएं। ...**(व्यवधान)**... कृपया अपनी जगह पर जाएं। ...**(व्यवधान)**... इस पर आगे कोई बहस नहीं होगी। मैं आग्रह करूंगा कि विधवाओं की स्थिति पर मनोज जी अपनी बात आगे रखें। ...**(व्यवधान)**... मनोज जी, कृपया आप बोलें। ...**(व्यवधान)**... मैं इस विषय पर आगे कोई बहस की इजाजत नहीं दे रहा हूँ। कृपया शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**... कृपया बैठें। ...**(व्यवधान)**... मनोज कुमार झा जी, कृपया आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ...**(व्यवधान)**... इसके अलावा और कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**... हम विधवा महिलाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। मनोज जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ...**(व्यवधान)**...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, there is no order in the House for raising this. ...**(Interruptions)**...

श्री उपसभापति: श्री रवि प्रकाश वर्मा जी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... रवि प्रकाश जी, आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी, इसके अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS*

Bringing Suitable Legislation for Welfare of Widows in the Country — *Contd.*

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): सर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। ...**(व्यवधान)**... सर, हिन्दुस्तान में विधवाओं की जो स्थिति है ...**(व्यवधान)**... सर, हाउस को ऑर्डर में करा दीजिए, ऐसे में बोलने से क्या फायदा? ...**(व्यवधान)**... सर, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं और अगर वे सब बातें इस शोर में दब जाएंगी, तो बहुत अत्याचार हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया आप बोलिए, आपकी ही बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, भारतीय समाज में ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कृपया शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**... कृपया आप विधवाओं के बारे में बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि हिन्दुस्तान की कुल आबादी का लगभग 8 प्रतिशत महिलाएं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मेरा आग्रह होगा कि कृपया शांति बनाए रखें। ...**(व्यवधान)**...

* further discussion on the Resolution moved by Shri Tiruchi Siva on 10th August, 2018.